बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:–....................

संख्या:–8/आ0(राज0उ0)–2–20/2015....1404..../श्री राकेश कुमार, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, कटिहार सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में ससमय अनुज्ञाशुल्क जमा नहीं कराये जाने के कारण कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण राजस्व क्षति, विभागीय नियमों की अनदेखी एवं पद का दुरूपयोग कर राजस्व की क्षति पहुँचाना तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन करना आदि आरोप के लिए विभागीय संकल्प संख्या–3033 दिनांक 27.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में विहित प्रकिया पूर्ण कर तथा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना सं0–5068 दिनांक 20.12.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (vi) के तहत् 05 (पॉच) वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोकने तथा देय तिथि से 05 (पॉच) साल तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

2. श्री कुमार द्वारा उनके विरूद्ध पारित दण्डादेश पर पुनर्विचार करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया।

3. श्री कुमार का नियुक्ति प्राधिकार राज्य सरकार है तथा राज्य सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील अनुमत नहीं है।

4. श्री कुमार के प्राप्त आवेदन की समीक्षा की गयी। वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 तक कुल रू. 2,21,96,761/– (दो करोड़ इक्कीस लाख छियानवे हजार सात सौ एकसठ रूपये) अनुज्ञाशुल्क के रूप में अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं करने के कारण एक बड़ी राशि से सरकार को बंचित रहना पड़ा। यदि इनके द्वारा बिहार उत्पाद विकी अधिसूचना 2007 के प्रावधानों का पालन किया जाता तो अनुज्ञाधारियों के पास इतनी बड़ी राशि लंबित नहीं रहती। अतः उनके द्वारा नियमों एवं प्रकियाओं का उल्लंघन करते हुए दुकानों को चलते रहने दिया गया तथा ससमय अनुज्ञप्तियों को विखंडित नहीं किया गया। उक्त के आलोक में श्री कुमार पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है। अतएव श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उक्त प्रावधानों के आलोक में पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8 / आ0(राज0उ0)–2–20 / 2015 1404 पटना, दिनांकः–19.04.18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8 / आ0(राज0उ0)–2–20 / 2015 – 1404 पटना, दिनांकः–19.04.18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचंद पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव / आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव / राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–5 / आई0टी0 मैनेजर एवं श्री राकेश कुमार, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, कटिहार सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
बिहार, पटना।